भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1115
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

राज्य विद्युत बोर्डों को हुई हानि

†1115. श्री राजीव राय:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विद्युत पारेषण हानियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) को हुई हानियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों को आत्मनिर्भर बनाए जाने को सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या निर्देश जारी किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) में होने वाली हानियाँ लगभग 2.99% से 5.10% के दायरे में हैं, जिनका वार्षिक औसत लगभग 3.75% है। राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) की पारेषण हानियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) एवं (ग) : 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग एवं रैंकिंग ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरण यूटिलिटी/विद्युत विभागों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरूआत की। इस स्कीम का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर एटीएंडसी हानियों को 12-15% तक कम करना तथा प्रति यूनिट आपूर्ति की गई विद्युत पर खर्च होने वाली कम बकाया राशि को शून्य तक लाना है।

इस स्कीम के अंतर्गत पात्र वितरण यूटिलिटी को वितरण अवसंरचना के उन्नयन, प्रणाली आधुनिकीकरण तथा संचार प्रणाली मीटरिंग एवं स्मार्ट प्री-पेड मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न मापदंडों पर प्रदर्शन पर निर्भर है।

इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस के अलावा भी भारत सरकार ने वितरण यूटिलिटी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित हुआ है कि वितरण कंपनियाँ उत्पादन कंपनियों को समय पर भुगतान करें।
- लागत प्रतिबिंबित टैरिफ सुनिश्चित करने तथा विद्युत खरीद एवं ईंधन लागत में होने वाले परिवर्तनों के मासिक आधार पर स्वचालित पास-थ्रू के लिए नियम लागू किए गए हैं।
- राजस्व अंतर को कम करने के लिए टैरिफ एवं ट्रू-अप आदेशों का समय पर निर्गमन सुनिश्चित किया गया है।
- राज्य सरकारों द्वारा घोषित सब्सिडी के समय पर भुगतान हेतु नियम बनाए गए हैं।
- ऊर्जा लेखांकन से संबंधित नियमों एवं प्रचालन प्रक्रियाओं से पारदर्शिता, बिलिंग तथा संग्रह दक्षता में सुधार हुआ है।
- राज्य स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को दिए जाने वाले ऋणों को वितरण यूटिलिटी के प्रदर्शन से जोड़ा गया है।
- प्रमुख विद्युत क्षेत्र सुधारों की शर्त पर राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई है।

केंद्र एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सामूहिक प्रयासों तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत किए गए सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप, वितरण यूटिलिटी की एटीएंडसी हानियाँ वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई हैं।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1115

अनुबंध-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पारेषण हानि का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पारेषण हानि % में
1	आंध्र प्रदेश	2.46
2	गुजरात	3.29
3	हरियाणा	1.99
4	महाराष्ट्र	3.28
5	तेलंगाना	2.11
6	मध्य प्रदेश	2.69
7	अरुणाचल प्रदेश	3.00
8	असम	3.21
9	बिहार	2.56
10	छत्तीसगढ़	3.00
11	दिल्ली	0.95
12	गोवा	4.50
13	झारखंड	2.23
14	कर्नाटक	2.87
15	केरल	3.10
16	मेघालय	3.18
17	ओडिशा	3.00
18	पुद्दुचेरी	1.50
19	राजस्थान	4.20
20	उत्तर प्रदेश	3.18
21	पश्चिम बंगाल	2.70
22	हिमाचल प्रदेश	2.77
23	पंजाब	2.21
24	तमिलनाडु	0.77
25	उत्तराखंड	1.03
26	मणिपुर	7.15
27	मिजोरम	3.08
28	नागालैंड	8.00
29	सिक्किम	14.50
30	चंडीगढ़	8.00
31	जम्मू एवं कश्मीर	3.00
32	त्रिपुरा	3.00
33	दमन एवं दीव - दादरा एवं नगर हवेली	3.50

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1115

अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) द्वारा झेली गई समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	राज्य/एसईबी	एटीएंडसी हानि (% में)		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
क	**राज्य क्षेत्र**	**15.47**	**16.33**	**15.40**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	19.77	20.76	24.14
	अंडमान एवं निकोबार पीडी	19.77	20.76	24.14
2	**आंध्र प्रदेश**	7.74	12.05	7.87
	एपीसीपीडीसीएल	10.33	11.37	7.95
	एपीईपीडीसीएल	5.94	10.41	7.70
	एपीएसपीडीसीएल	8.08	13.95	7.99
3	अरुणाचल प्रदेश	51.70	42.86	46.20
	अरुणाचल पीडी	51.70	42.86	46.20
4	**असम**	16.22	14.03	15.44
	एपीडीसीएल	16.22	14.03	15.44
5	**बिहार**	23.45	20.32	15.51
	एनबीपीडीसीएल	21.42	17.06	14.49
	एसबीपीडीसीएल	25.05	22.89	16.35
6	**छत्तीसगढ़**	16.14	15.88	14.25
	सीएसपीडीसीएल	16.14	15.88	14.25
7	**दिल्ली**	10.67	12.82	8.36
	एनडीएमसी	10.67	12.82	8.36
8	**गोवा**	17.09	9.09	10.39
	गोवा पीडी	17.09	9.09	10.39
9	**गुजरात**	10.72	8.97	8.25
	डीजीवीसीएल	1.62	1.87	4.26
	एमजीवीसीएल	9.67	6.88	8.37
	पीजीवीसीएल	18.41	15.11	12.73
	यूजीवीसीएल	9.35	8.08	6.16
10	**हरियाणा**	12.01	11.30	11.76
	डीएचबीवीएन	13.17	12.73	12.20
	यूएचबीवीएन	10.32	9.15	11.12
11	**हिमाचल प्रदेश**	10.57	10.88	19.44
	एचपीएसईबीएल	10.57	10.88	19.44
12	**झारखंड**	27.46	30.51	28.19

क्रम सं.	राज्य/एसईबी	एटीएंडसी हानि (% में)		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
	जेबीवीएनएल	27.46	30.51	28.19
13	**कर्नाटक**	14.19	11.89	11.92
	बेसकॉम	12.78	10.23	12.50
	चेसकॉम	10.22	9.38	8.76
	गेसकॉम	19.25	9.56	13.48
	हेसकॉम	18.12	17.92	12.14
	मेसकॉम	9.20	12.48	10.02
14	**केरल**	5.65	7.44	6.61
	केएसईबीएल	5.64	7.44	6.61
	टीसीईडी	7.08	7.19	6.94
15	**लद्दाख**	38.61	42.46	26.82
	लद्दाख पीडी	38.61	42.46	26.82
16	**मध्य प्रदेश**	20.45	22.89	22.76
	एमपीएमकेवीवीसीएल	22.89	29.09	29.60
	एमपीपीएकेवीवीसीएल	12.60	12.33	12.78
	एमपीपीओकेवीवीसीएल	27.09	28.20	26.66
17	**महाराष्ट्र**	16.96	23.86	17.69
	बीईएसटी	4.18	6.68	5.07
	एमएसईडीसीएल	17.37	24.39	18.09
18	**मणिपुर**	13.82	13.41	12.90
	एमएसपीडीसीएल	13.82	13.41	12.90
19	**मेघालय**	17.75	17.51	17.52
	एमईपीडीसीएल	17.75	17.51	17.52
20	**मिजोरम**	26.53	28.01	32.31
	मिजोरम पीडी	26.53	28.01	32.31
21	**नागालैंड**	47.28	47.11	48.86
	नागालैंड पीडी	47.28	47.11	48.86
22	**पुद्दुचेरी**	21.83	17.75	14.72
	पुद्दुचेरी पीडी	21.83	17.75	14.72
23	**पंजाब**	11.23	10.96	19.21
	पीएसपीसीएल	11.23	10.96	19.21
24	**राजस्थान**	15.44	22.13	15.18
	एवीवीएनएल	10.00	15.43	9.22
	जेडीवीवीएनएल	20.99	28.84	21.42
	जेवीवीएनएल	14.59	20.89	13.75
25	**सिक्किम**	26.41	27.84	21.84
	सिक्किम पीडी	26.41	27.84	21.84
26	**तमिलनाडु**	10.92	11.39	10.96
	टेनजेडको	10.92	11.39	10.96

क्रम सं.	राज्य/एसईबी	एटीएंडसी हानि (% में)		
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
27	**तेलंगाना**	18.65	19.01	19.84
	टीजीएनपीडीसीएल	22.19	20.00	23.22
	टीजीएसपीडीसीएल	17.20	18.62	18.51
28	**त्रिपुरा**	24.91	69.01	29.61
	टीएसईसीएल	24.91	69.01	29.61
29	**उत्तर प्रदेश**	22.18	16.39	19.54
	डीवीवीएनएल	24.04	20.00	19.70
	केस्को	11.33	9.60	14.29
	एमवीवीएनएल	23.46	15.53	17.70
	पीवीवीएनएल	17.06	14.25	11.91
	पीयूवीवीएनएल	27.27	17.33	30.70
30	**उत्तराखंड**	14.41	14.69	15.08
	यूपीसीएल	14.41	14.69	15.08
31	**पश्चिम बंगाल**	17.43	17.13	17.17
	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	17.43	17.13	17.17
ख	**निजी क्षेत्र**	**11.87**	**11.00**	**10.05**
1	दिल्ली	6.86	6.74	6.48
	बीआरपीएल	6.92	6.52	6.70
	बीवाईपीएल	7.29	7.71	7.15
	टीपीडीडीएल	6.48	6.35	5.70
2	**गुजरात**	3.93	3.92	3.63
	टोरेंट पावर अहमदाबाद	4.04	4.16	3.80
	टोरेंट पावर सूरत	3.69	3.41	3.24
3	**महाराष्ट्र**	6.48	5.39	4.99
	एईएमएल	6.48	5.39	4.99
4	ओडिशा	21.67	19.59	17.81
	टीपीएनओडीएल	17.25	14.61	12.51
	टीपीएसओडीएल	30.59	26.75	23.36
	टीपीडब्ल्यूओडीएल	20.26	17.90	17.64
	टीपीसीओडीएल	22.64	21.86	19.11
5	**उत्तर प्रदेश**	8.02	7.75	8.48
	एनपीसीएल	8.02	7.75	8.48
6	**पश्चिम बंगाल**	6.47	4.64	4.77
	आईपीसीएल	6.47	4.64	4.77
	कुल योग	**15.22**	**15.97**	**15.04**
